

अंतरराज्यीय डकैत शेर शाह के गुर्गे गिरफ्तार

अचलपुर के ज्वेलरी शॉप में किया था चोरी का प्रयास एलसीबी पुलिस की कार्रवाई



अमरावती। मंगल प्रहर ब्यूरो

विगत माह अचलपुर के चेडे ज्वेलर्स की दीवार को फोडकर लाखों की चोरी का प्रयास करने के मामले में ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने अंतरराज्यीय कुख्यात डकैत शेर शाह के मुख्य गुर्गे को कारंजा लाड से गिरफ्तार किया। चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहन चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर टाटा एस वाहन, गैस कटर में उपयोग लानेवाले सिलेंडर जब्त किया है।

जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार

आरोपियों में शेख राजु शेख बचलू (46, ग्राम टेगरा, परबना, पश्चिम बंगाल) और वाहन चालक अल्लाफ शाह मुन्ना शाह (20, इंगोले प्लॉट, कारंजा लाड) का समावेश है। जबकि शेर शाह सहित 6 लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है।

बता दे की 20 दिसंबर की रात शेर शाह की टोली ने अचलपुर के सुशांत प्रकाश चेडे की ज्वेलरी शॉप से 50 लाख रुपये के जेवर चुराने के लिए दुकान की दीवार तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शेर शाह और उसके साथीदार जब दीवार



फोड़ रहे थे तब वहा टाटा एस क्रं. एमएच 43, एबी 7755 में सवार होकर आए आरोपी शेख राजु और अल्लाफ शाह जब वाहन से सिलेंडर उतार रहे थे तब परिसर के एक विवाह समारोह में शामिल मेहमानों को वाहन पर संदेह हुआ। तब उन्होंने जब वाहन के पास पहुंचकर पृछताछ करने की कोशिश की वैसे ही आरोपी वाहन लेकर भाग निकले थे, लेकिन आरोपी चोरी में उपयोग के लिए

लाए हथियार वही छोड़ भागे। मामला को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस पुलिस को पता चलते ही अचलपुर पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगड, अपर

झारखंड की टोली का बडनेरा में डेरा

झारखंड के कुख्यात आरोपी विगत एक माह से बडनेरा के जुनी बस्ती स्थित घंटा नगर में किराये के मकान में रह रहे थे। टोली ने करीब एक माह तक अचलपुर और परतवाडा के बडे सराफा दुकानों की रेकी की। रेकी के बाद उन्हें सबसे आसान चोरी के लिए चेडे ज्वेलर्स को निशाना बनाने का निर्णय लिया। कुछ आरोपी 14 नवंबर से किराये के कमरे रह रहे थे। अन्य डकैत 17 नवंबर को ट्रेन से बडनेरा पहुंचे। जिसके बाद चोरी का नियोजन किया गया और 20 दिसंबर की रात दुकान को लूटने का प्लान बनाया, लेकिन सजग नागरिकों के कारण उनका यह प्रयास विफल हुआ।

देश भर में नामजद

झारखंड निवासी शेर शाह की गैंग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित महाराष्ट्र के पुना, मुंबई जैसे शहरों में भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इन आरोपियों के खिलाफ देश भर में कई संगीन मामले दर्ज हैं। एलसीबी पुलिस द्वारा आरोपियों को अचलपुर पुलिस के हवाले करने के बाद अन्य शहर व राज्यों की पुलिस भी उन्हें हिरासत ले सकती है।

ने सुशांत की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ धारा 461, 511 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने अचलपुर मार्ग के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के लिए गठित किए गए दल के पीएसआय मंगेश भोयर और उनकी टीम ने 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वाहन ढूंढ लिया। वाहन से पुलिस आरोपियों तक पहुंची और राजु सहित दो

अधीक्षक शशीकांत सातंव, एलसीबी के पीआय तपन कोल्हे के मार्गदर्शन में पीएसआय मंगेश भोयर, मुलचंद भांबुरकर, दीपक उईके, अमित वानखडे, युवराज मानमोटे, मंगेश लकडे, स्वप्निल तवर, निलेश डांगोरे, सायबर सेल के सागर धापड, शिवा मिरसाठ, रितेश वानखडे, चालक नितेश तेलगोटे, हर्षद घुसे ने की।